



आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश – 481001

Email- cfbalaghat@mpforest.org, दूरभाष : 07632-241201 फ़ैक्स : 07632-240268

आदेश क्रमांक/व्यय/ >>

बालाघाट, दिनांक 09.04.2023

::--आदेश ::--

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03 नियम/चार दिनांक 03.09.2003 (बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स वाल्यूम-2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कक्ष भू प्रबंध म.प्र. भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत सड़क मार्गों के प्रकरणों में प्रभावित होने वाली वनभूमि के एवज में उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि/राजस्व भूमि एवं बिगड़े वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु में 11 वर्षीय (वर्ष 2023-24 से 2033-34तक) क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्य का विवरण

अ. क्र	कार्य का नाम एवं स्थल	परिक्षेत्र का नाम	वनभूमि का विवरण			प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत (रु.में)
			कक्ष क्रमांक	बिट का नाम	कार्य का रकबा हेक्टर	
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना	वारासिवनी	519	डोंगरगांव-2	15	5957575/-

- कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे।
- उक्त रोपण हेतु स्थानीय प्रजातियों का चयन कर रोपण किया जावे।
- स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट राशि का व्यय स्वीकृत नामर्स, जाबदर एवं उपलब्ध बजट आवंटन तक सीमित रहेंगा। उपरोक्त कार्य के संपादन के पूर्व कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों का भलीभांति अवलोकन किया जाये, किसी भी परिस्थिति में कार्य आयोजना से विचलन होने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कार्य का संपादन न कराया जाये।

स्वीकृत पंजी पृष्ठ क्रमांक अ.क्र. इन्द्राज किया गया।

(ए.पी.एस.सोंगर)

भा.व.से.

वनसंरक्षक

वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

बालाघाट, दिनांक 09.04.2023

पृष्ठा. क्रमांक/व्यय/ 1361

प्रतिलिपि :- वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट की ओर आपके पत्र क्रमांक/व्यय.आ. /498 दिनांक 05.04.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनसंरक्षक

वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

